



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229071
CG-DL-E-17082021-229071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3100]
No. 3100]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SRAVANA 26, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3350(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. शाहिद अख्तर को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए उक्त आयोग का सदस्य नामित करती है।

2. डॉ. शाहिद अख्तर इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे कि वे वर्तमान में उनके द्वारा किसी अन्य कार्यालय में धारित पद से पदमुक्त हो गए हैं।

3. डॉ. शाहिद अख्तर का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा.सं.7-12/2015-एमसी]

विनीत जोशी, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3350(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 3 read with sub-section (1) of section 5 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby nominates Dr. Shahid Akhter as Member of the said Commission, for a term of five years from the date on which he assumes office.

2. Dr. Shahid Akhter will furnish a statement of having relinquished any other office currently held by them.
3. The headquarters of Dr. Shahid Akhter will be at New Delhi.

[F.No.7-12/2015-MC]
VINEET JOSHI, Addl. Secy.